उत्तर देने को तैयार हैं तो विदेश मंत्री ने कहा था कि मैं आज शाम को नहीं दे सकूंगा लेकिन कल मैं उत्तर दे दूंगा तो फिर अध्यक्ष महोदय, आप इस को और आगे क्यों बढ़ा रहे हैं ? अब तक सरकार ने पूरी तैयारी कर ली होगी तब क्या आपत्ति है . . .

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त दूसरे हाउस में हैं ।

12.33 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE

APOLOGY BY ASSOCIATE EDITOR, HINDUSTAN TIMES *re.* MISREPRESENTATION OF LOK SABHA PROCEEDINGS

Mr. Speaker: The House will recall that on the 18th March, 1966, Shri B. P. Maurya had raised a question of privilege in the House, alleging misrepresentation of certain remarks made by him in the House on the 17th March, 1966, by the *Hindustan Times* (Evening News) of that date. I had then said that I would ask the Editor of the *Hindustan Times* to state that what he had to say in the matter.

I have now to inform the House that the Associate Editor of the *Hindustan Times,* in his reply dated the 22nd March, 1966, has stated as follows:

> "The report in question was received by us from the United News of India as part of its normal services and was published by us in good faith. We had no reason to doubt the veracity and accuracy of the report at that time. We had no intention whatsoever of attributing to Mr. Maurya anything he did not mean or say. It will no doubt have been noticed from the extracts of the proceedings enclosed with your letter that Mr. Maurya himself admitted that his remarks, in Hindi, might not have been very clear to some who heard him. In any case we have learnt with deep regret that Mr. Maurya was wrongly reported.
>
> We hope that this unqualified expression of regret will be acceptable both to the Speaker and to Mr. Maurya."

I think this regret is sufficient and the matter may be closed. (*Interruption*) Order, order. Shri Fakhruddin Ahmed.

श्री मौर्य (अलीगढ़) : एक शब्द मुझे कहने की इजाजत दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मामला खत्म हो गया अब क्या जरूरत है ?

श्री मौर्य : श्रीमन्, मुझे नींद तक नहीं आती । मुझे डिप्टी स्पीकर साहब ने वैसे ही निकाल दिया । मैं ने कोई ऐसी बात नहीं कही थी । दरअसल उन्हें हिन्दी समझ में नहीं आती, वह मेरी हिन्दी समझ नहीं पाये और उन्होंने मुझे बेकार में निकाल दिया ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ।

श्री मौर्य : यह बड़ा गलत तरीका है यह कोई अच्छा तरीका नहीं है ।

12.35 hrs.

Re. POINT OF ORDER

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : पहली चीज खत्म हुई और दूसरी चीज शुरू हुई तो इस बीच में व्यवस्था कहां आ गई ?

डा० राम मनोहर लोहिया : 376 के मातहत इस संसद् के कार्यक्रम के ऊपर आप के सामने मैं ने पिछली दफ़ा भी कई दिन पहले

भी यह प्रश्न उठाने की कोशिश की थी । प्रधान मंत्री जी ने 17 मार्च को दो ग़लत बयानियां कीं और उस सम्बन्ध में मैं ने आप को लिखा भी है . . .

अध्यक्ष महोदय : कह लें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : कहना जरूरी है । यह कोई मैं अपने आराम के लिए या उन के दुःख के लिए नहीं कहता हूं बल्कि इसलिए कहता हूं जिसमें भारत देश का कामकाज अच्छे तरीक़े से चले । प्रधान मंत्री ने 17 मार्च को एक बात यह कही कि प्रधान मंत्री का विशेष स्थान और रुतबा है । मैं चाहता हूं कि संविधान की कोई धारा बताएं अथवा लोक सभा की प्रक्रिया का कोई नियम बतलायें जिनके कि अनुसार उन को यह विशेष स्थान मिल जाता है । अगर दिमाग़ से विशेष स्थान निकलता है तब उस की कोई हैसियत नहीं है । अगर वह विशेष स्थान किसी क़ानून की किताब से निकलता हो और जो कुछ संविधान है वह बाक़ायदा साफ़ बतलाता है कि राष्ट्रपति का तो विशेष स्थान है किन्तु प्रधान मंत्री के बारे में ख़ाली एक क़लम है कि प्रधान मंत्री राष्ट्रपति को उन के कामों में मदद देंगे और सलाह देंगे । मदद देना और सलाह देना ख़ाली उन का यह काम है । हमारे प्रधान मंत्री शक्ति के स्रोत हैं और राष्ट्रपति रुतबे के स्रोत हैं । अगर शक्ति और रुतबा दोनों मिल गये तो भारत में जनतंत्र बिलकुल ख़त्म हो जायेगा और इसलिए सुरक्षा के नाम पर अगर कहीं प्रधान मंत्री को आप ने विशेष रुतबा दे दिया तो मैं पूछना चाहूंगा कि संविधान कहां रह जायेगा ? बार बार सुरक्षा का यहां जिक्र होता है इसलिए संविधान के अनुसार अथवा लोक सभा की प्रक्रिया के अनुसार या तो प्रधान मंत्री बताएं कि उन्हें यह विशेष स्थान कहां से मिल जाता है वरना वह अपना बयान वापिस लें । एक बात तो यह थी । दूसरी बात प्रधान मंत्री ने कही कि बहुसंख्या देशों में प्रधान मंत्री को ऐसा स्थान मिलता है । बहुसंख्या देशों में, इस का एक ख़ास मतलब होता है । संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो भी 120 बड़े देश होंगे उन में से 65–70 यह विशेष स्थान प्रधान मंत्री को देते हैं ऐसा उन का बयान है । फिर श्री हेम बरुआ ने कहा था कि यह अविकसित देशों में होता है तब प्रधान मंत्री ने यहां तक कहा कि यह विकसित देशों में भी होता है । या तो प्रधान मंत्री जी बतलायें कि वह कौन से 65 देश हैं और जिनमें विकसित देश भी हैं जहां कि प्रधान मंत्री को विशेष स्थान मिलता है वरना अपना यह बयान वापिस लें और इस तरीक़े से सदन की मर्यादा को क़ायम रखें । मैं आप के सामने यह सवाल मत समझियेगा कि अपने रुतबे के लिए उटा रहा हूं, मुझे रुतबे की फिक्र होती तो शायद प्रधान मंत्री जी को यह मौक़ा ही नहीं मिलता इस तरीक़े से बातचीत करने का । मैं अपने रुतबे के बारे में कुछ नहीं सोचता । मुझे ख़ाली मतलब है भारत के समाज से । यह समाज कम से कम 15–20 हजार जातियों में बंटा हुआ है जोकि एक दूसरे से शादी, ब्याह नहीं करते हैं । यह समाज कम से कम एक लाख आमदनी . . .

अध्यक्ष महोदय : अब ख़त्म भी करियेगा ?

डा० राम मनोहर लोहिया : अब मुझे अपनी बात पूरी तो कर लेने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : ब्रीच ऑफ़ प्रीविलेज के बारे में आप ने कह लिया और मैंने सुन लिया ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जैसी आप की इच्छा । लेकिन यह श्रेणी विभक्त समाज में आप को सिर्फ़ एक बात याद दिला दूं कि इस तरीक़े से एक पहले के प्रधान मंत्री ने, जाने दीजिये साधारण जनता को, काबीना, यानी कैबिनेट के एक मंत्री की पैर की हड्डी तोड़ दी जिनका कि नाम है हाफिज मुहम्मद इब्राहीम । वह एक महीने से ज्यादा अस्पताल

में पड़े रहे । इसलिए यह विशेष स्थान और रुतबा जितनी जल्दी आप खत्म करवा सकें उन लोगों का जो कि शक्ति का इस्तेमाल करते हैं बेहतर होगा . . .

अध्यक्ष महोदय : आप अब खत्म भी करेंगे ? बस हो गया जो आप कहना चाहते थे वह कह लिया । होम मिनिस्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं ?

डा० राम मनोहर लोहिया : होम मिनिस्टर साहब यहां कैसे आ गये ?

Shri Radhelal Vyas (Ujjain): Sir, I rise to a point of order. This matter was brought before the House by the hon. Member by way of a point of order under rule 376. I would like to submit that this cannot be raised under rule 376, because rule 376 is quite clear.

अध्यक्ष महोदय : पायंट आफ़ आर्डर का सवाल नहीं है । माननीय सदस्य डा० लोहिया, ने एक ब्रीच आफ़ प्रिविलेज का नोटिस दिया हुआ है, जो कि मेरे पास है । रूल 376 की बात वह यूं ही कह गये हैं । रूल 376 का सवाल नहीं उठता है । जैसा कि मैं ने कहा है, उन्होंने एक ब्रीच आफ़ प्रिविलेज का नोटिस दिया हुआ है । उन्होंने उस दिन इस सवाल को उठाया था हाउस में । मैं ने उनको कहा था कि उनकी चिट्ठी मुझे मिली है, मैं उसको देखूंगा और उसका जवाब उन को दूंगा ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नंदा) : अध्यक्ष महोदय, . . .

एक माननीय सदस्य : इस का जवाब होम मिनिस्टर क्यों दे रहे हैं ?

श्री नन्दा : . . . मुझे इतना ही कहना है कि जो कुछ माननीय सदस्य, डा० लोहिया, ने कहा है, उससे किसी किस्म के ब्रीच आफ़ प्रिविलेज का सवाल नहीं उठता है । अगर आप चाहेंगे, तो हम इस को पूरी तरह से देख लेंगे ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अपनी बात कह दी है । अब वह बैठ जायें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आप से सिर्फ़ यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप गृह मंत्री को ऐसे बोलने देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां । मुझ से सवाल किया गया है कि . . . (व्यवधान)

डा० राम मनोहर लोहिया : प्रधान मंत्री कहां चल दीं ? अध्यक्ष महोदय, क्या आप उस तरफ़ भी देखेंगे या नहीं ? जब इस सवाल पर बहस हो रही है, तो वह सदन से जा रही हैं । क्या यह कोई तरीका है ? क्या इस तरह से संसद् का काम चलेगा ? (व्यवधान)

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Sir, when you are on your legs, the Prime Minister has walked out. This is very bad, very improper. (*Interruptions*).

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : प्रधान मंत्री का इस तरह सदन से चले जाना इस सदन का और आपका अपमान है । (व्यवधान)

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : प्रधान मंत्री का इस समय सदन से जाना उचित नहीं है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें । (व्यवधान)

Shri Hari Vishnu Kamath: Sir, you pull us up, you should pull her up also. Is that her privilege?

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता कि इस क़द्र बेताबी क्यों है और पांच छः सदस्य एक-साथ खड़े हो कर क्यों बोलते चले जाते हैं । (व्यवधान)

श्री मधु लिमये (मुंगर) : प्रधान मंत्री के व्यवहार में ऐसा होता है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, जब आप खड़े थे, तो प्रधान मंत्री उठ कर चली गईं। यह आपका अपमान है। (व्यवधान)

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : उनका इस तरह उठ कर चले जाना सदन का अपमान है। (व्यवधान)

Shri Hem Barua (Gauhati): Sir, when you are on your feet, the Prime Minister walked out. Is that her privilege?

Shri Hari Vishnu Kamath: It is an affront to you.

Shri Hem Barua: It is an affront not only to you, but to us also. (*Interruptions*).

Shri Hari Vishnu Kamath: It is an affront to you and to the House.

Mr. Speaker: Unless I have a chance to speak how can I say anything on this.

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, आप प्रधान मंत्री को वापस बुलायें। इस तरह इस सदन की कार्यवाही नहीं हो सकती है। (व्यवधान)

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, आप के सम्मान की अवहेलना हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रधान मंत्री कर के गई हैं। उन्होंने इस सदन की अवहेलना की है। इस सवाल पर चर्चा हो रही है और वह उठ कर चली गईं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। (व्यवधान)

श्री ओंकार लाल बेरवा : आप देखते रह गये और प्रधान मंत्री चली गईं। यह सदन का और आपका अपमान है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। जब मैं कुछ कहने के लिए उठता हूं, तो पांच छः माननीय सदस्य उठते हैं और मुझे बोलने नहीं देते हैं। क्या यह अवहेलना नहीं है? (व्यवधान) माननीय सदस्य दूसरी तरफ़ की अवहेलना की बात कहते हैं। (व्यवधान)

श्री बृजराज सिंह (बरेली): उस अवहेलना की तरफ़ आप का ध्यान दिलाने के लिए हम बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, आप का अपमान किस ने किया है? हमने नहीं किया है। प्रधान मंत्री ने आपका अपमान किया है, इसकी तरफ़ हम आपका ध्यान दिला रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात दुरुस्त है कि जब प्रेज़ाइडिंग आफ़िसर खड़ा हो, तो किसी भी मेम्बर या मिनिस्टर को बाहर नहीं जाना चाहिए और न उस वक्त उठना चाहिए। (व्यवधान) मैं बार-बार खड़ा होता हूं, लेकिन मेम्बर साहिबान दरमियान में खड़े हो कर बोलते चले जाते है और मेरे कहने के बावजूद ख़ामोश नहीं होते हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह घटना ही एसी हुई है।

एक माननीय सदस्य : घटना नहीं, दुर्घटना।

अध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो वह बाहर चले जायें।

मुझे इस बात का वाकई खेद है कि जब ब्रीच आफ़ प्रिविलेज की बात हो रही थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब से ही कन्सर्न्ड थी, और मैं भी खड़ा था, तो इन दोनों बातों के होते हुए भी प्राइम मिनिस्टर साहब चली गईं। उनका इस तरह चला जाना दुरुस्त नहीं था। (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : शेम, शेम। (व्यवधान)

Shri Hari Vishnu Kamath: Let her express regret.

अध्यक्ष महोदय : "शेम" का क्या सवाल है ? कुछ हद होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ रिगार्ड होना चाहिए । क्या यह कोई कायदा है ? (**व्यवधान**)

श्री मधु लिमये : क्या प्रधान मंत्री हम लोगों का लिहाज करती हैं ? उनका इस तरह चले जाना कोई कायदा है ? (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : प्रधान मंत्री को बुलाया जाये । (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : उन को हाउस से माफ़ी मांगनी चाहिए । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह बात दुरुस्त नहीं है कि जब मैं इधर देख रहा हूं और बोल रहा हूं, तो पांच छः मेम्बर इकट्ठे खड़े हो कर इस तरह बोलें । यह भी हाउस की अवहेलना है और चेयर की अवहेलना है ।

कुछ माननीय सदस्य : शेम, शेम ।

अध्यक्ष महोदय : मैं डा० लोहिया के सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि मेरी तरफ़ से प्राइम मिनिस्टर को कोई खास अधिकार देने का सवाल पैदा नहीं होता है । डा० लोहिया ने कहा है कि कांस्टीट्यूशन के अनुसार प्राइम मिनिस्टर को कोई ख़ास, विशेष अधिकार नहीं हैं कि जिसकी वजह से किसी दूसरे को रुकना पड़े—कांस्टीट्यूशन के मुताबिक उन को कोई ऐसी फ़ैसिलिटी नहीं मिली हुई है, जिसका वह इस्तेमाल करें । माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं इस बारे में अपना फ़ैसला दूं कि आया उनको यह अधिकार है या नहीं । उन्होंने मुझे यह भी कहा है कि मैं उनको कोई अधिकार न दूं । मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यह मेरा काम नहीं है कि मैं कांस्टीट्यूशन का तर्जुमा करूं और यह फ़ैसला करूं कि कांस्टीट्यूशन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को यह अधिकार है या नहीं । अगर वह समझते हैं कि उनको कोई अधिकार है या नहीं है, तो यह उनकी राय हो सकती है । लेकिन यह फ़ैसला देना कि आया उनको कोई अधिकार है या नहीं, यह कोर्ट का काम होगा । अगर डा० लोहिया यह समझते हैं कि कांस्टीट्यूशन की स्पिरिट या लेटर या कोई चीज़ भंग हुई है, तो वह कोर्ट में जा कर फ़ैसला ले सकते हैं । मैं कोई फ़ैसला नहीं दे सकता हूं । मैं नहीं समझता हूं कि कोई ब्रीच आफ़ प्रिविलेज हुआ है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, . . . (**व्यवधान**)

Shri Hari Vishnu Kamath: Will the Leader of the House express regret for what has happened? That is the least that he can do.... (*Interruptions*).

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha): My own impression is perhaps she did not notice that you were standing. But I am certainly sending word to her as to what the House has felt. She might come and express regret to the House.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, आप ही इस हाउस की मर्यादा का रक्षण कर सकते हैं—और कोई नहीं कर सकता है (**व्यवधान**) ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय,. . . (**व्यवधान**)

श्री यशपाल सिंह: जब तक प्रधान मन्त्री जी यहां न आयें, इस हाउस की कार्यवाही बन्द रखी जाये । उन्होंने इस हाउस की अवहेलना की है, स्पीकर साहब की अवहेलना की है । स्पीकर साहब के सिवा और कोई हमें रक्षण नहीं दे सकता है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । श्री फखरुद्दीन अहमद ।

12.46 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

BUDGET ESTIMATES OF DAMODAR VALLEY CORPORATION

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): I beg to lay on the Table a copy of the Budget Estimates of the Damodar Valley Corporation for the year 1966-67, under sub-section (3) of section 44 of the Damodar Valley Corporation